मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च 2010—फाल्गुन 21, शक 1931

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम विनियम

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

चतुर्थ एवं पंचम तल, "मेट्रो प्लाजा" बिट्टन मार्केट, ई–5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल – 462 016

भोपाल दिनांक, 3 मार्च, 2010

क्रमांक – 547/एमपीईआरसी/2010– मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम क्रमांक 36 वर्ष 2003) की धारा 86(1)(जी) सहपठित धारा 181 (2) (जेडपी) के अधीन प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.वि.नि.आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) विनियम ,2005, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में क्रमांक 394 म.प्र.वि.नि.आ.–2005 दिनांक 14 फरवरी, 2005 को अधिसूचित व दिनांक 18 फरवरी 2005 को प्रकाशित हुआ था, इसके द्वारा पुनरीक्षित करता है।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम 2010 {आर जी–21 (I) वर्ष 2010}

प्रस्तावना

यह जबकि आयोग द्वारा म.प्र.वि.नि. आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) विनियम, 2005 अधिसूचित कर समय समय पर संशोधित किया गया था तथा यह जबकि अनुज्ञप्तिधारियों तथा उपभोक्ताओं द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु इन विनियमों में कतिपय मुख्य परिवर्तन किये जाने आवश्यक हो गये हैं, अतएव इन विनियमों को पुनरीक्षित किया जा रहा है ।

अध्याय–1
सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, सीमा एवं प्रारंभ

1.1 ये विनियम मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2010 {आरजी–21(I) वर्ष 2010} कहलाऐंगे।

1.2 ये विनियम सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं के अंतर्गत प्रभावशील होंगे। अनुसूची – एक के अनुसार पुनरीक्षित शुल्क, उत्पादन कम्पनी एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिये वित्तीय वर्ष 2010–11 से टैरिफ अवधि के लिये प्रभावशील होंगे ।

1.3 यह विनियम मध्यप्रदेश शासन के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा।

अध्याय–2
परिभाषाऐं

2. परिभाषाएं

2.1 जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में :

(ए) "आयोग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग;

(बी) "विद्युत अधिनियम" अथवा "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम 36 वर्ष 2003);

(सी) "शुल्क" से अभिप्रेत है, शुल्क जैसा कि अनुसूची में दर्शाया गया है;

(डी) "अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभारों" से तात्पर्य अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभारों से है जिसे आयोग अधिनियमों के अंतर्गत आरोपित करने हेतु अधिकृत है;

(ई) "कोष" से अभिप्रेत है, राज्य विद्युत नियामक आयोग कोष जिसे विद्युत अधिनियम धारा 103 के अंतर्गत संस्थापित किया गया है;

(एफ) "उत्पादक कंपनी" से अभिप्रेत विद्युत अधिनियम के अंतर्गत दर्शाये गये अर्थ से है;

(जी) "अनुज्ञप्तिधारियों" से अभिप्रेत अधिनियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारियों से है;

(एच) "अधिनियमों" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) अधिनियम 2005;

(आई) "अनुसूची" से अभिप्रेत इन अधिनियमों से संलग्न अनुसूची से है;

2.2 दी जनरल कलाज एक्ट 1897 जिसे समय–समय पर संशोधित किया गया है, इन अधिनियमों की व्याख्या हेतु लागू माना जावेगा ।

अध्याय–3
शुल्क

3. <u>आवेदनों एवं याचिकाओं पर देय शुल्क</u>

(i) आयोग को प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन, याचिका एवं अपील के साथ अनुसूची–एक में दर्शाये अनुसार शुल्क देय होगा। सह–याचिकाकर्ता को मुख्य याचिकाकर्ता के समकक्ष शुल्क/प्रभारों का भुगतान करना होगा । तथापि केन्द्र/राज्य शासन द्वारा आवेदन/याचिका दायर किये जाने पर; उन पर किसी प्रकार के शुल्क/प्रभार उद्ग्रहीत नहीं किये जावेंगे ।

(ii) अधिनियमों के अंतर्गत देय शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट अथवा पे–आर्डर जो "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग" के पक्ष में भोपाल में देय हो, करना होगा । यदि देय शुल्क रू. 1 लाख से अधिक हो तो "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग" के अधिकृत बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से सीधे आयोग के बैंक खाते में आयोग को सूचित करते हुए जमा कराया जा सकता है । आयोग के बैंक खाते की पहचान के लिए ब्यौरा आयोग सचिव से प्राप्त किया जा सकता है ।

(iii) आयोग द्वारा इन अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्त शुल्क आयोग के कोष में आकलित किया जावेगा ।

(iv) अनुसूची – 1 के सरल क्रमांक 8 एवं 9 के अनुसार वार्षिक शुल्क प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक अग्रिम रूप से देय होगा । चूक की दशा में बकाया राशि पर 1% (एक प्रतिशत) की दर से प्रत्येक माह अथवा उसके अंश के लिये जब तक की शुल्क जमा न कर दिया गया हो, विलंब शुल्क देय होगा ।

(v) उत्पादन कम्पनी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यदि बहुवर्षीय टैरिफ की अवधारणा हेतु याचिका प्रस्तुत की गई हो तो अनुसूची – 1 में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार पूरी टैरिफ अवधि

के लिये याचिका प्रस्तुत करते समय ही शुल्क जमा किया जा सकता है । विकल्पतः याचिका प्रस्तुत करते समय विनिर्दिष्ट दर के अनुसार प्रथम वर्ष के लिये भी शुल्क जमा किया जा सकता है । शेष टैरिफ अवधि के लिये शुल्क प्रत्येक वर्ष की 28 फरवरी तक शुल्क जमा किया जा सकता है । चूक की दशा में बकाया राशि पर 1% (एक प्रतिशत) की दर से प्रत्येक माह अथवा उसके अंश के लिये जब तक की शुल्क जमा न कर दिया गया हो, विलंब शुल्क देय होगा ।

परन्तु वित्तीय वर्ष 2010–11 की टैरिफ अवधि के लिये उत्पादन कम्पनी एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी 31 मार्च, 2010 तक शुल्क जमा कर सकता है ।

अध्याय–4
अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभार

4.1 **अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभार आरोपण**

(i) अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत, आयोग किसी विषय विशेष अथवा कार्यवाहियों में जो आयोग के समक्ष अथवा अन्य किसी भी समय पर विचाराधीन हो, किसी भी व्यक्ति, उत्पादक कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों को अधिनियम के अंतर्गत संरचित अधिनियम अथवा नियमों, विनियमों या संहिताओं अथवा निर्देश अथवा आदेश जो आयोग द्वारा समय–समय पर लागू किये गये हों, के अनुपालन न किये जाने की दशा में अथवा उनके उल्लंघन किये जाने पर आयोग द्वारा अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभारों के आरोपण की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी ।

(ii) आयोग अर्थदण्ड एवं/अथवा प्रभारों का परिमाण एवं सीमा का निर्धारण, अन्य प्रासंगिक पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए, निम्न बिन्दुओं पर भी विचार करेगा :

- अनुपालन न किये जाने अथवा उल्लंघन का स्वरूप एवं उसका परिमाण
- अनुपालन न किये जाने अथवा उल्लंघन के फलस्वरूप उठाया गया दोषपूर्ण लाभ अथवा अनुचित सुविधा
- अनुपालन न किये जाने अथवा उल्लंघन के फलस्वरूप किसी/किन्ही व्यक्ति(यों) को हुई हानि अथवा उत्पीड़न का स्तर
- अनुपालन न किये गये अथवा उल्लंघन की आवृत्ति का स्वरूप

(iii) जिस व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभार आरोपित किया जाना प्रस्तावित है, उसे अर्थदण्ड/प्रभार आरोपित किये जाने से पूर्व आयोग ऐसे किसी अर्थदण्ड/प्रभार को लगाये जाने अथवा उसके परिमाण अथवा सीमा के स्वरूप के विरूद्ध ऐसे व्यक्ति को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावेगा।

(iv) आयोग ऐसे व्यक्ति को कारण बताओं नोटिस जारी करेगा जिसमें उक्त व्यक्ति की जिम्मेदारी की सीमा जिसका उसके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है अथवा उल्लंघन किया गया है का उल्लेख करते हुए उसे निश्चित सीमा अवधि प्रदान कर पूछा जावेगा कि क्यों न उसके द्वारा अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप अथवा उल्लंघन किये जाने के कारण उसके विरूद्ध अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभार अधिरोपित न किये जावें।

(v) नोटिस के जवाब में, यदि उक्त व्यक्ति लिखित में अनुपालन न किया जाने अथवा उल्लंघन किये जाने की स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करता है, तो आयोग उसे अभिलिखित करेगा तथा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभार अधिरोपित कर सकेगा जैसा कि वह प्रकरण की परिस्थितियों के अंतर्गत उचित समझे।

(vi) यदि ऐसा व्यक्ति जिसे उपकण्डिका (iv) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है, कारण बताओं नोटिस का उत्तर नहीं देता अथवा अधिनियम या नियम या आयोग के आदेशों का अनुपालन न किये जाने को नकारता है अथवा उल्लंघन किये जाने को अस्वीकार करता है, तो आयोग प्रकरण में जांच–पड़ताल कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

(vii) आयोग संतुष्ट होने पर कि प्रकरण में किसी प्रकार के अनुपालन में उल्लंघन अथवा अधिनियम, नियमों, विनियमों अथवा आदेशों का उल्लंघन नहीं हुआ है तो वह नोटिस को निरस्त करने की कार्यवाही करेगा अथवा जांच की दशा में आदेशों के उल्लंघन या अनुपालन में उल्लंघन पाये जाने पर आयोग ऐसा अर्थदण्ड या प्रभार आरोपित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

4.2. अर्थदण्ड एवं प्रभारों का भुगतान

(i) आयोग द्वारा आदेशित अर्थदण्डों तथा/अथवा प्रभारों का भुगतान आयोग द्वारा अर्थदण्ड अथवा प्रभार संबंधी जारी आदेश की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में अथवा आयोग द्वारा ऐसे आदेश में बढ़ाई गई अवधि के अंतर्गत करना होगा।

(ii) अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभारों का भुगतान इन अधिनियमों की कण्डिका 3 की उपकण्डिका (2) में दर्शाई गई विधि द्वारा किया जावेगा।

(iii) यदि आयोग द्वारा आदेशित अर्थदण्ड तथा/अथवा प्रभारों का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता, तो उनकी वसूली भू–राजस्व के बकाया के आधार पर की जावेगी।

4.3 अनुसूची–1 का संशोधन

आयोग अनुसूची–1 में दर्शाए गये शुल्क को समय–समय पर जोड़ने, संशोधन करने, बदलने अथवा राशियों के परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होगा, जैसा कि वह उचित समझे।

5. निरसन एवं व्यावृत्ति :

(i) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क तथा प्रभार) विनियम 2005 जो अधिसूचना क्रमांक 394–मप्रविनिआ–2005 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 18 फरवरी 2005 द्वारा जो विषय वस्तु को लागू हों, विनियम के सहपठित संशोधनों सहित को एतद् द्वारा निरसीत किया जाता है।

(ii) इन विनियमों में कुछ भी आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, लिखित कारणों सहित, यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से अन्यथा हो।

(iii) संशोधन करने के सामान्य अधिकार : आयोग किसी भी समय ऐसी शर्तो पर जिसे आयोग उचित समझे इन विनियमों में किसी भी प्रावधान का संशोधन जिनके उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से ये विनियम संरचित किये गये हैं, में संशोधन कर सकेगा।

(iv) कठिनाइयां दूर करने के अधिकार : यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को मूर्तरूप देने में कठिनाई आती है तो आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कोई भी सुधार भले वह अधिनियम के किसी प्रावधान से युक्तियुक्त न हो, जो आवश्यक प्रतीत होता हो अथवा कठिनाइयों को दूर करने में वांछनीय हो, संबंधी कार्यवाही कर सकेगा।

टीपः– इस विनियम के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

अनुसूची – एक

स.क्र.	आवेदन का विषय	प्रभार (रूपयों में)
1.	उत्पादन टैरिफ अवधारणा हेतु आवेदन	
(ए)	परंपरागत ईंधन आधारित संयंत्र जिसमें 25 मेगावॉट से अधिक जल आधारित संयंत्र सम्मिलित हैं।	रू. 3,000/– (तीन हजार) प्रति वर्ष प्रति मेगावाट अथवा उसकी स्थापित क्षमता का अंश
(बी)	ऊर्जा के गैर–परंपरागत तथा नवीनीकरण योग्य स्त्रोत मय सह–उत्पादन जिसमें 25 मेगावॉट तक के जल आधारित संयंत्र सम्मिलित है।	रू. 1,000/– (एक हजार) प्रति मेगावाट अथवा उसकी स्थापित क्षमता का अंश, न्यूनतम रू. 10,000/– (दस हजार) प्रति आवेदन
(सी)	प्रावधिक टैरिफ अवधारणा हेतु.	रू. 50,000 (पचास हजार)
2.	पारेषण टैरिफ अवधारणा हेतु आवेदन	रू. 200/– (दो सौ) प्रति वर्ष प्रति एक मिलियन यूनिट अतिरिक्त उच्च दाब प्रणाली में ऊर्जा प्रदाय अथवा उसका अंश
3.	वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण टैरिफ अवधारणा हेतु याचिका	रू. 300/– (तीन सौ) प्रति वर्ष प्रति एक मिलीयनयूनिट अतिरिक्त उच्च दाब प्रणाली में ऊर्जा प्रदाय ऋण अति उच्च दाब प्रणाली में पारेषण हानियां
4.	ग्रामीण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैरिफ निर्धारण	रू. 1,000/– (एक हजार)
5.	इकाई/अनुज्ञप्तिधारी/मान्य योग्य अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति जिसे अनुज्ञप्ति जारी हेतु छूट प्राप्त है द्वारा प्रस्तुत टैरिफ आदेश की समीक्षा संबंधी याचिका	रू. 50,000/– (पचास हजार)
6.	सरल क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्थाओं को छोडकर अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत टैरिफ आदेश की समीक्षा संबंधी याचिका	रू. 25,000/– (पच्चीस हजार)
7.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्रदाय करने हेतु अथवा धारा 13 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति से विमुक्ति हेतु आवेदन शुल्क	राज्य सरकार द्वारा विहित

8.	राज्य के भीतर व्यापार अनुज्ञप्ति हेतु वार्षिक शुल्क	म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु पात्रता संबंधी मापदण्ड तथा व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 की कण्डिका 7.2 के अनुसार.
9.	राज्य के भीतर व्यापार अनुज्ञप्ति को छोड़कर अनुज्ञप्ति हेतु वार्षिक शुल्क	रू. 1,00,000/– (एक लाख)
10.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 के उपबंधों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति संशोधन हेतु आवेदन ।	
(ए)	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा	रू. 1,00,000/– (एक लाख)
(बी)	अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा	रू. 50,000/– (पचास हजार)
11.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण हेतु।	
(ए)	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा	रू. 1,00,000/– (एक लाख)
(बी)	अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा	रू. 50,000/– (पचास हजार)
12.	वार्षिक शुल्क ऐसे छूट प्राप्त व्यक्ति से जिसे अनुज्ञप्ति स्वीकृति से छूट दी गई हो ।	ऐसा शुल्क जो आवेदन/याचिका प्रस्तुति अथवा किसी उपयुक्त प्रक्रम के समय प्रत्येक आवेदन हेतु पृथक से निर्दिष्ट किया जावे ।
13.	न्यायालयीन अभिलेखों के निरीक्षण हेतु आवेदन ।	रू. 500/– (पांच सौ) प्रति दिवस (तीन घंटे से अधिक नहीं)
14.	न्यायालयीन अभिलेखों से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु आवेदन	रू. 10/– (दस) प्रति पृष्ठ
15.	अर्न्तवादीय (Interlocutory) आवेदन	रू. 20,000/– (बीस हजार)
16.	दीर्घकालीन ऊर्जा क्रय अनुबन्ध का अनुमोदन। दीर्घकालीन से अभिप्रेत है एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि	

(ए)	परपरांगत ईंधन आधारित (कोयला, तेल आदि) संयत्र, जिसमें 25 मेगावॉट से अधिक जल आधारित संयंत्र सम्मिलित है।	रू. 25,000/– (पच्चीस हजार) प्रति मेगावॉट अथवा उसके अंश [न्यूनतम रू. 2,00,000/– (दो लाख) उच्चतम रू. 10,00,000/– (दस लाख)] ।
(बी)	ऊर्जा के गैर परंपरागत अथवा नवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्त्रोत, जिसमें 25 मेगावॉट तक के जल आधारित संयंत्र सम्मिलित हैं।	रू. 10,000/– (दस हजार) प्रति मेगावॉट अथवा उसके अंश [न्यूनतम रू. 50,000 (पचास हजार) उच्चतम रू. 5,00,000/– (पांच लाख)]
17.	लघुकालीन ऊर्जा क्रय अनुबन्ध समस्त स्त्रोतों से (लघुकालीन से अभिप्रेत है, एक वर्ष से कम की अवधि)	रू. 10,000/– (दस हज़ार) प्रति अनुबन्ध
18.	विवादों का निपटान जो विद्युत अधिनियम 2003 एवं तत्संबंधी निर्दिष्ट विनियमों के अन्तर्गत आते हैं ।	
(ए)	जो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत हों, जो परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करते हों	रू. 1,00,000/– (एक लाख)
(बी)	जो गैर–परम्परागत ऊर्जा स्त्रोंतों द्वारा प्रस्तुत हो ।	रू. 50,000/– (पचास हजार)
(सी)	ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत जिसके द्वारा केप्टिव उत्पादक संयंत्र का संचालन किया जा रहा है।	रू. 50,000/– (पचास हजार)
19.	विद्युत अधिनियम धारा 17 के उपबंधों के अन्तर्गत अग्रिम अनुमोदन प्राप्ति हेतु आवेदन	रू. 5,00,000/– (पांच लाख)
20.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 35 के उपबन्धों के अन्तर्गत अर्न्तवर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोग के इच्छुक व्यक्ति द्वारा आवेदन	रू. 50,000/– (पचास हजार)
21.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 35 के उपबन्धों के अन्तर्गत अधिशेष क्षमता की मात्रा के निर्धारण हेतु	रू .1,00,000/– (एक लाख)

	विवाद का न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत निपटान	
22.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 36, उपधारा (1) के उपबन्धों के अन्तर्गत शुल्क, भार, निबंधन एवं शर्तों के निर्धारण हेतु आवेदन	रू. 1,00,000/– (एक लाख)
23.	अधिनियम की धारा 162 (2) के उपबन्धों के अन्तर्गत मुख्य विद्युत निरीक्षक अथवा किसी विद्युत निरीक्षक के आदेश के विरूद्ध अपील	रू. 5,000/– (पांच हजार)
24.	विद्युत अधिनियम की धारा 67 उपधारा (4) के उपबंधों के अन्तर्गत प्राप्त विवाद (सड़कों की खुदाई, रेलवे आदि)	रू. 10,000/– (दस हजार)
25.	ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्त्रोतों के विद्युत उत्पादकों द्वारा ग्रिड के साथ संयोजन की अनुमति की प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया आवेदन	रू. 10,000/– (दस हजार)
26.	टैरिफ आदेश के सत्यापन हेतु यदि पृथक से आवेदन प्रस्तुत किया हो	रू. 1,00,000/– (एक लाख)
27	अन्य आवेदन जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते	रू. 10,000/– (दस हजार)

Bhopal, Dated 3rd March, 2010

No.547/MPERC/2010 - In exercise of powers conferred under Sub-section (1)(g) of Section 86 read with Sub-section (2)(zp) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and all powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby revises the "MPERC (Fees, Fines and Charges) Regulations, 2005" notified in Madhya Pradesh Gazette vide No. 394 MPERC-2005, dated 14th February, 2005 and published on 18th February, 2005.

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (FEES, FINES AND CHARGES) (REVISION-I) REGULATIONS, 2010 [RG-21 (I) of 2010]

PREAMBLE

Whereas the Commission had notified Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fees, Fines and Charges) Regulations, 2005 as amended from time to time and whereas certain major changes are necessary in these Regulations to obviate the difficulties experienced by the Licensee and other stakeholders. Therefore, these Regulations are being revised.

CHAPTER I

GENERAL

1. **Short title and Commencement:** (i) These Regulations may be called the "**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fees, Fines and Charges) (Revision-I) Regulations, 2010" {RG-21(I) of 2010}.**

(ii) These Regulations shall come into force on the date of their notification in the M.P. Gazette. The revised fee as per Schedule-I shall be applicable for the tariff period FY 2010-11 onward for Generating Company and Transmission Licensee.

(iii) These Regulations shall extend to the whole of State of Madhya Pradesh.

CHAPTER II

DEFINITIONS

2. **Definitions:**

2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:

(a) "Commission" means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission.

(b) "Electricity Act" or "Act" means the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003).

(c) "Fees" means fees as mentioned in the Schedule.

(d) "Fines and/or Charges" refers to fines and/or charges that the Commission is empowered to impose under the Electricity Act,

(e) "Fund" shall mean the State Electricity Regulatory Commission Fund constituted under Section 103 of the Electricity Act,

(f) "Generating Company" shall have the meaning as defined under the Electricity Act.

(g) "Licensees" shall mean licensees under the Electricity Act,

(h) "Regulations" shall mean the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fees, Fines and Charges) Regulations, 2005.

(i) "Schedule" refers to the schedule appended to these Regulations.

2.2 **The General clauses Act, 1897, as amended from time to time, shall apply to the interpretation of these Regulations.**

CHAPTER III

FEES

3 **Fees on Applications and Petitions**

i. Every application, petition or appeal made to the Commission shall be accompanied by such Fees as specified in the Schedule 1. The Co-Petitioner(s), if any, shall also have to pay the same fee/charges as is required to be paid by the main petitioner. However, no Fee/Charges shall be leviable in case any application or petition is filed by the Central or State Government.

ii. The Fees payable under these Regulations shall be paid by means of bank draft or pay order, drawn in favour of the 'Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission', payable at Bhopal. If the Fee payable is more than Rupees One lakh, the same may be deposited through electronic transfer directly in the Bank Account of MPERC under intimation to the Commission. Details needed for identifying the bank account of MPERC may be obtained from Commission Secretary.

iii. All Fees received by the Commission under these Regulations shall be credited to the Fund.

iv. The annual fee as per Serial No. 8 and 9 of Schedule-I shall be payable in advance by 31st March of each year failing which delayed payment charge at the rate of one percent (1%) shall be payable on the outstanding amount for each month or a part thereof for the period fees remains unpaid.

v. In case the petition for determination of Multi Year Tariff is filed by Generating Company/Transmission Licensee, the fee may be paid at the rate as specified in the Schedule-I for the complete tariff period while filing the petition. Alternatively, the fee may be paid for first year at the specified rate while filing the petition. The fee for balance tariff period may be paid annually in advance by 28th February of each year failing which delayed payment charge at the rate of one percent (1%) shall be payable on the outstanding amount for each month or a part thereof for the period fees remains unpaid.

Provided, for tariff period FY 2010-11 only Generating Company and Transmission Licensee may submit the Fee by 31st March, 2010.

CHAPTER IV

FINES AND/OR CHARGES

4.1 Imposition of Fines and/or Charges

i. Subject to the provisions of the Acts, the Commission may, while deciding any matter or proceeding pending before the Commission or at any other time, initiate a proceeding for imposition of Fines and/or Charges against any person including generating companies and licensees for non-compliance or violation on their part of the provisions or requirements of the Act or Rules, Regulations or Codes framed under the Act or the directions or orders of the Commission made from time to time.

ii. While determining the quantum or extent of the Fines and/or Charges to be imposed, the Commission shall consider, amongst other relevant things, the following:

- the nature and extent of non-compliance or violation.
- the wrongful gain or unfair advantage derived as a result of the non-compliance or violation.
- the loss or degree of harassment caused to any person(s) as a result of the non-compliance or violation.
- the repetitive nature of the non-compliance or violation

iii. Before imposing any Fines and/or Charges, the Commission shall give an opportunity to the person upon whom such Fines and/or Charges are proposed to be imposed, to represent against the proposal to impose such Fines and/or Charges and also on the quantum or extent of the Fines and/or Charges proposed to be imposed.

iv. The Commission shall issue a notice to the person specifying the nature of non-compliance or violation on the person's part and also call upon him to show cause within the time specified in the notice as to why Fines and/or Charges may not be imposed on him for such non-compliance or violation.

v. Where while replying to the notice, the person admits non compliance or violation in writing, the Commission shall record the same and may impose such Fines and/or Charges as it may consider fit in the circumstances of the case, subject to the provisions of the Act.

vi. If the person to whom a notice has been issued under sub clause (iii) fails to show cause or denies non compliance with or violation of any provision of the Act or rules or regulations or an order of the Commission, the Commission may enquire into the matter in such manner as it deems fit.

vii. The Commission may either on being satisfied that no non-compliance or violation of any provision of Act, rules or regulations or an order of the Commission, has been committed, withdraw the notice or in the event enquiry reveals non-compliance or violation for which notice was served, may impose such fines or charges which are considered appropriate.

4.2 Payment of Fines and Charges.

i. The Fines and/or Charges as ordered by the Commission shall be paid within 30 days of the order of the Commission imposing the Fines or Charges or within such extended date as may be allowed by the Commission in such order.

ii. The Fines and/or Charges shall be payable in the same manner as provided under Sub-clause (ii) of Clause 3 of these Regulations.

iii. If the Fines and/or Charges ordered by the Commission are not paid within the prescribed time, they shall be recoverable as arrears of land revenue.

4.3 Amendment of Schedule 1

The Commission shall be entitled to add, amend, alter or vary the Fees payable as provided in Schedule 1, by order, from time to time, as it deems fit.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

5 Repeal and Saving

i. The Regulations Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fees, Fines and Charges) Regulation, 2005 published vide notification No. 394-MPERC-2005 in the Gazette dated 18.02.2005 and read with all amendments thereto, as applicable to the subject matter of this regulation are hereby superceded.

ii. Nothing in these provisions shall bar the Commission from adopting a procedure which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of the matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient to depart from the procedure prescribed in the regulations.

iii. General power to amend: The Commission may at any time and on such terms as it may think fit amend any provision of these Regulations for the purpose of meeting the objectives with which these Regulations have been framed.

iv. Power to remove difficulties: If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations the Commission may, by general or special order, do anything, not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

By Order of the Commission

P. K. CHATURVEDI, Commission Secretary.

Schedule 1		
S No.	**Name of application**	**Fees/charges (Rs.)**
1	Application for determination of generation tariff	
(a)	Conventional fuel based plant including Hydel Plant above 25 MW	Rs. 3,000/- (Rs. Three Thousand) per MW or part thereof of installed capacity per annum.
(b)	Non-conventional and renewable sources of energy including co-gencration and Hydel Plant upto 25 MW	Rs. 1,000/- (Rs. One Thousand) per MW or part thereof of installed capacity subject to a minimum of Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand) per application.
(c)	For provisional tariff determination	Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand)
2	Application for determination of transmission tariff	Rs. 200/- (Rs. Two Hundred) for each one Million Units or part thereof of energy input into the EHT transmission system per annum.
3	Petition for determination of Distribution Tariff by Distribution Licensee	Rs. 300/- (Rs. Three Hundred) for each one Million Units or part thereof of energy input into EHT Transmission system less EHT Transmission system losses per annum.
4	Petition for determination of Tariff by Rural Licensee	Rs. 1,000/- (Rs. One Thousand)
5	Petition for review of Tariff order, presented by generating company/ licensee/ deemed licensee/person granted exemption from license.	Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand)
6	Petition for review of Tariff order, presented by a person other than those covered in serial No. 5 above.	Rs. 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand)
7	Application fee for grant of Licence under Section 15(1) or exemption from Licence under Section 13 of the Act.	As prescribed by the State Government.
8	Annual fee for Intra-State Trading Licence	As per Clause 7.2 of MPERC (Eligibility Criteria for grant of trading licence) Regulations, 2004.
9	Annual fee for Licence other than Intra-State Trading Licence.	Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakh).
10	Application for amendment of licence under Section 18 of the Electricity Act, 2003	
(a)	by Licensee	Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakh)
(b)	by any person other than a Licensee	Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand)
11	Application for revocation of licence under subsection (2) of Section 19 of the Electricity Act, 2003.	
(a)	by Licensee	Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakh)
(b)	by any person other than a Licensee	Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand)

S No.	Name of application	Fees/charges (Rs.)
12	Annual Fees payable by all exemptees who are granted exemption of license	Fees as may be specified on case to case basis at the time of filing of application/petition or at other appropriate stage.
13	Application for inspection of the judicial records	Rs. 500/- (Rs. Five Hundred) per day not exceeding three hours.
14	Application for obtaining certified copy of the documents forming part of the judicial records	Rs. 10/- (Rs. Ten) per page
15	Interlocutory Application	Rs. 20,000/- (Rs. Twenty thousand)
16	Approval of Long Term Power purchase agreement. Long term means for a period of one year or more	
(a)	Conventional fuel based (coal, oil etc.) Plant including Hydel Plant above 25 MW	Rs. 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand) per MW or part thereof [Minimum Rs. 2,00,000 (Rs. Two Lakhs) Maximum Rs. 10,00,000/- (Rs. Ten Lakhs)]
(b)	Non conventional and renewable energy Sources including Hydel Plant upto 25 MW	Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand) per MW or part thereof [Minimum Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand) Maximum Rs. 5,00,000/- (Rs. Five Lakhs)]
17	Approval of Short Term Power Purchase Agreement from all sources(Short term shall mean for a period less than 1 year)	Rs.10,000/- (Rs. Ten Thousand) per agreement
18	Adjudication of disputes under the Electricity Act,2003 and regulations specified there under.	
(a)	referred by a Licensee or by a Generating Company using conventional source of energy	Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakh)
(b)	referred by a Generating Company using Non-conventional source of energy	Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand)
(c)	referred by a Person owning Captive Generating Plant	Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand)
19	Application seeking prior approval under Section 17 of the Electricity Act, 2003	Rs 5,00,000/- (Rs. Five Lakhs)
20	Application under Section 35 of the Electricity Act, 2003 for seeking the use of intervening transmission facilities.	Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand)
21	Adjudication of dispute regarding extent of surplus capacity under the proviso to Section 35 of the Electricity Act, 2003.	Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakh)
22	Application for determination of rates, charges, terms and conditions under proviso to sub-section (1) of Section 36 of Electricity Act, 2003.	Rs 1,00,000/- (Rs. One Lakh)
23	Appeal against the decision of a Chief Electrical Inspector or an Electrical Inspector under Section 162(2) of the Act.	Rs. 5,000/- (Rs. Five Thousand)

S No.	Name of application	Fees/charges (Rs.)
24	Disputes arising under Section 67 sub section 4 of the Electricity Act, (opening of Streets, Railways etc).	Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand)
25	Application filed by electricity generators from non-conventional sources of energy for seeking permission for connectivity with the grid.	Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand)
26	Application for Truing up of Tariff Order if filed as a separate petition.	Rs. 1,00,000/- (Rs. One lakh)
27	Any other application or petition not specifically covered above	Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.